

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर।

पत्रांक 977 / 14-1 दिनांक, सुलतानपुर 03-09 — 2020
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, सरयू वृत्त,
उ0प्र0, अयोध्या।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एम0ए0जी0वाई0) वल्लीपुर, विकास खण्ड- कूरेभार के अन्तर्गत जोन-2 (रतनपुर) पेयजल पाईप लाइन विछाने से प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद-सुलतानपुर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, जल निगम द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एम0ए0जी0वाई0) वल्लीपुर, के अन्तर्गत जोन-2 (रतनपुर) जिला- सुलतानपुर में कुल 0.12195 हे0 [आरक्षित (0.1095 हे0) और संरक्षित (0.01245)] हे0 पर पाईप लाइन विछाने से प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

पत्रांक:- / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि- अधिशाषी अभियन्ता, अति0 निर्माण खण्ड, उ0प्र0, जल निगम, सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।